केंद्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर रोड़,बीकानेर, राजस्थान –334 006

क्रमांकः 3(45)बीके/2012/खण्ड–प्रथम/ दिनांकः26.08..2015

निविदा–प्रपत्र

1	निविदा–प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि	:	दिनांक 10–09–2015 दोपहर 1 बजे तक
2	निविदा–प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 10–09–2015 दोपहर बाद 3 बजे
3	अमानत राशि	:	रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र)
4	निविदा–प्रपत्र की मान्य अवधि	:	120 दिवस
5	निविदा–प्रपत्र शुल्क	:	रूपये 1,000/– (रूपये एक हजार मात्र)

इस संस्थान के प्रक्षेत्र परिसर में उपलब्ध ट्यूबवैल संख्या 2, 3 एवं 4 के आस–पास के क्षेत्र में तथा बेर के पेड़ों के बीच सस्थान द्वारा बोई गई ग्वार की फसल लगभग 48 बीघा (12 हेक्टेयर) को हिस्सा पद्वति पर कृषि कार्य (निराई,–गुड़ाई, सिचाई, फसल कटाई, बीज निकालना आदि) करने का अनुबन्ध इच्छुक निविदादाताओं से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है ।

नियम व शर्ते

1. ट्यूबवैल संख्या 2, 3, 4 व बेरो के पेड़ो के बीच बोई गई ग्वार फसल में खरपतवार निकालना, पूरी तरह से कटाई करना अथवा उखाड़ना, इकट्ठा करना तथा सुखाकर थ्रेसर से ग्वार का दाना निकालना, चारा प्रभारी, प्रक्षेत्र अनुभाग द्वारा बताये गये स्थान अथवा सेक्टरों पर पहुचाना जिसमें ग्वार इकट्ठा करना तथा सेक्टरों पर चारा डालने के लिए ट्रेक्टर एवं ट्रोली संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
2. निविदादाता को निविदा–प्रपत्र के साथ अमानत राशि बतौर रू.10,000 (रूपये दस हजार) मात्र नकद जमा कराना होगा । निविदा–प्रपत्र इस संस्थान के द्वारा डाउनलोड किया हुआ ही मान्य होगा । बिना अमानत राशि के निविदा–प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
3. सफल निविदादाता को कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार धरोहर राशि बतौर रू.15,000/– नकद जमा कराना होगा । धरोहर राशि अनुबन्ध सन्तोषजनक पूरा होने के बाद वापिस देय होगी । यदि अनुबन्ध के दौरान ठेकेदार का कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा ।
4. अनुबन्ध का कार्य आदेश जारी होने से तुरन्त प्रभाव से शुरू करना होगा ।
5. आवश्यकता पड़ने पर प्रभारी, प्रक्षेत्र अनुभाग के निर्देशानुसार फसल में फव्वारा पद्वति से सिंचाई करनी होगी । फव्वारा व पाईप संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । बिजली का खर्चा भी संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा ।
6. फसल का पूरा चारा संस्थान का होगा । केवल दाने में ही ठेकेदार का हिस्सा होगा । खरपतवार, सेवण घास, पाला यदि ठेकेदार स्वयं काटता है तो उसमें ठेकेदार का हिस्सा 60% तथा संस्थान का हिस्सा 40% होगा ।
7. आवश्याकता पड़ने पर ग्वार फसल पर कीटनाशक दवाई का उपयोग प्रभारी, प्रक्षेत्र अनुभाग के निर्देशानुसार करना होगा । कीटनाशक दवाई ट्रेक्टर द्वारा चालित मशीन संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।
8. संस्थान के प्रक्षेत्र में उगी हुई बेर की झाडियों को नुकसान नही होना चाहिए और उनमें बिछी ड्रील लाईन को भी नुकसान नही होना चाहिए । यदि ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा की जायेगी ।
9. फसल की रखवाली एव देखभाल स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी । यदि ठेकेदार के द्वारा फसल की रखवाली या देखभाल की कमी से संस्थान को किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरवाई स्वयं ठेकेदार से की जायेगी ।
10. ग्वार दाना को निकालने के लिए थ्रेसर की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं को ही करनी होगी । दाना साफ–सुथरा एवं कंकड़ रहित ही संस्थान द्वारा लिया जायेगा । ग्वार दाने के हिस्से की तुलवाई स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी ।
11. ठेके के दौरान ठेकेदार अथवा उसके व्यक्तियों के द्वारा संस्थान को सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की की क्षति होती है तो उसका हर्जाना ठेकेदार स्वयं को भरना होगा।
12. ठेके का कार्य आदेश प्राप्त होते ही अतिशीघ्र चालू करना होगा । पेटी ठेका स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
13. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनके परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा । प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा ।
14. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं ठेकेदार को उनके रूवये के खर्चे पर करना होगा । तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। ठेके की अवधि में कार्य के दौरान लगाए जाने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक भुगतान श्रमिक नियमों के अनुसार करना होगा ।
15. रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध का इकरारनामा पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर स्वयं ठेकेदार को उनके स्वयं के खर्चे पर कार्यालय में जमा कराना होगा अन्यथा जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबंध भी निरस्त कर दिया जाएगा ।
16. संस्थान के प्रभागाध्यक्ष महोदय को बिना कोई कारण बताए कोई भी ठेका/निविदा स्वीकार करने/रद्ध करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

उपर्युक्त नियम व शर्ते मैने भली–भॉति पूर्ण होश–हवास में पढ एवं समझ ली है और दाने में मेरा व संस्थान का हिस्सा इस प्रकार होगा ।

क्र. सं.	फसल का नाम	संस्थान का हिस्सा प्रतिशत में	ठेकेदार का हिस्सा प्रतिशत में
1.	ग्वार का दाना		

हस्ताक्षर----------
ठेकेदार का नाम----------
पूरा पता----------

मोबाईल नं0----------